

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प. 6(5)सै.क./2018


जयपुर, दिनांक 16/03/2018

—:: आज्ञा ::—

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में बिन्दु 175 की क्रियान्विति किये जाने हेतु कारगिल पैकेज के तहत दिनांक 01.04.2018 के पश्चात शहीद होने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक मुश्त देय नकद राशि 20.00 लाख रुपये नकद से बढ़ाकर राशि 25.00 लाख नकद किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आज्ञा वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 101801026 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(हेमन दास रामचन्दानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. महालेखाकार कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर

800/15

2502

21-3-18


शासन उप सचिव

9. अप्रैल 2502